

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

~~अदालत अहकाम~~ बनाम ~~सरकार~~
बनाम ~~सरकार~~

किस्म मुकदमा:- 111/128 LRAct नं. 386 / प्रा0पत्र / सत्र / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/6/25	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो।	
17/6/25	पत्रावली पेश हुई। तामिल रिपोर्ट व TDR रिपोर्ट अलग-अलग तालेडा तालेडी व रिपोर्ट TDR हेतु पत्रावली दिनांक 11/7/25 को पेश हो।	
11/7/25	अदालत मय हुई अहकामक समय पक्ष उपस्थित है। आज अहकाम उपखण्ड अधिकारी राज् कार्यवाही बाहर दौरे में तारीफ रहते है। मय कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेंस पर है। अहकाम वली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10/7/25 को पेश हो	
10/7/25	पत्रावली अहकाम उप. / TDR रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली पेश किया। अहकाम उप. पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 15/7/25 को पेश हो।	
15/7/2025	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा0पत्र प्रार्थी न्यायोचित प्रतीत होनेसे स्वीकार किया जाता है। पिछूत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आहमि0 किया	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उम्मा / मिर्गीय शुले -यात्रालय सुनामा उम्मा पञ्जवली
फैसल शुमा छोका नम्बर से कम हो वाद तामील
तकमील नियमानुसार दाखिल दाखल हो ह.क.३

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं०

386/पा०पत्र/2025

तारीख दायरा

10.06.2025

तारीख फैसला

15.07.2025

गुरुद्वारा अगमगढ़ साहब बड़गाव जय बलवेन्दर सिंह उम वयस्क पुत्र श्री फकीर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी गुरुद्वारा बड़गाव बून्दी रोड़ कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

-अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री अखिलेश जैन

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:- पेटोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 238/133 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 87 रकबा 0.0809 हैक्टेयर खसरा संख्या 94 रकबा 0.1700 हैक्टेयर खसरा सं. 222/59 रकबा 0.8417 हैक्टेयर खसरा सं. 235/132 रकबा 0.3642 हैक्टेयर खसरा सं 60 रकबा 0.0486 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है उपरोक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर तारबन्दी करवाना चाहते है। जिसके लिए उक्त भूमि पर तहसीलदार तालेड़ा से सीमाज्ञान करवाया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि का औपचारिक रूप से सीमाज्ञान किया गया है इसलिए प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी तहसीलदार तालेड़ा से करवाई जाने बाबत आदेशित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। उक्त आराजीयात माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है के प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 238/133 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 87 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 94 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा सं 222/59 रकबा 0.8417 हैक्टेयर, खसरा सं. 235/132 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा सं. 60 रकबा 0.0486 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान की मौके पर पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार तालेड़ा को दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा दिनांक 27.6.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना एवं भूमि का रिकॉर्ड खातेदार होना अंकित किया गया साथ ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर किसी भी न्यायालय में स्थगन एवं वाद दायर नहीं होना अंकित किया।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 70 नया 76 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 एवं नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 48 नया 50 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की प्रति एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट की छायाप्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 70 नया 76 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 एवं नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 48 नया 50 वाके ग्राम बालापुरा पटवार

6/11/25



मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 में प्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी की उपस्थिति में वाद वर्णित खतौनी संख्या पुरानी 70 नया 76 वाके ग्राम बालापुра पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 एवं नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 48 नया 50 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की पत्थरगढी की जावे। वाद वर्णित आराजी पर यदि किसी न्यायालय में स्थगन अथवा भूमि विवादित हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।



(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपस्वण्ड अधिकारी
तालेड़ा